पशुपालन विभाग ने पशुपालकों की सहायता के लिए निम्नलिखित स्कीमें चला रखी हैं :–

1. राष्ट्रीय गाय एवं भैंस प्रजनन योजना

- पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें ।
- विभिन्न पशुओं में हीट (गर्माना या मद में आना) की अवधि, हीट के लक्षण, कृत्रिम गर्भाधान का सही समय इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें ।
- घर द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान के लिए 1.7 लीटर के तरल नत्रजन पात्र उपलब्ध करवाये गए हैं जिनके प्रयोग से कृत्रिम गर्भाधान कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ है ।
- पशुपालकों को यह भी पता होना चाहिए कि अगर गाय या भैंस लगातार तीन बार कृत्रिम गर्भाधान करवाने के बाद भी गाभिन नहीं होती तो वह इस बात को विशेषज्ञ के ध्यान में लाऐं और उस पशु का इलाज करने के लिए आग्रह करें ।
- अगर पशु ब्याने के बाद दो माह तक हीट में न आए तो भी पशु का इलाज करवाया जाए ।
- गर्भित करवाये जानवरों की 3 माह के बाद जांच गर्भ जांच करवाएं ।
- बच्छड़ी–बच्छड़ा उत्पन्न होने पर उसकी सूचना दी जाए, सींग अवरोधन करवाया जाए ।

गाय व भैसों में मद के लक्षण :–

गाय व भैंसो में मदकाल (गर्मी की अवधि) लगभग 20 से 36 घंटे का होता है जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं
(1) मद की प्रारम्भिक अवस्था (2) मद की मध्यावस्था (3) मद की अन्तिम अवस्था। मद की विभिन्न अवस्थाओं का हम पशुओं में बाहर से कुछ विशेष लक्षणों को देख कर पता लगा सकते हैं।

मद की प्रारम्भिक अवस्था :

(1) पशु की भूख में कमी आना ।
(2) दूध उत्पादन में कमी ।
(3) पशु का रम्भाना(बोलना) व बेचैन रहना।
(4) योनि से पतले श्लैष्मिक पदार्थ का निकलना ।
(5) दूसरे पशुओं से अलग रहना ।
(6) पशु का पूंछ उठाना ।
(7) योनि द्वार (भग) का सूजना तथा बार–बार पेशाब करना।
(8) शरीर के तापमान में मामूली सी व्द्धि ।

मद की मध्यावस्था :

गर्मी की यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योकि कृत्रिम गर्भाधान के लिए यही अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसकी अविध लगभग 10 घंटे तक रहती है। इस अवस्था में पशु काफी उत्तेजित दिखता है तथा वह अन्य पशुओं में रूचि दिखाता है।

(1) योनि द्वार (भग) से निकलने वाले श्लैष्मिक पदार्थ का गाडा होना जोकि बिना टूटे नीचे तक लटकता हुआ दिखायी देता है।
(2) पशु जोर –जोर रम्भाने (बोलना) लगता है।
(3) भग(योनि द्वार) की सूजन तथा श्लैष्मिक झिल्ली की लाली में वृद्धि हो जाती है।
(4) शरीर का तापमान बढ़ जाता है ।
(5) दूध में कमी तथा पीठ पर टेढापन दिखायी देता है।
(6) पशु अपने उपर दूसरे पशु को चढने देता है अथवा वह खुद दूसरे पशुओं पर चढने लगता है।

मद की अन्तिम अवस्था :

(1) पशु की भूख लगभग सामान्य हो जाती है।
(2) दूध की कमी भी समाप्त हो जाती है।
(3) पशु का रम्भाना कम हो जाता है।
(4) भग की सूजन व श्लैष्मिक झिल्ली की लाली में कमी आ जाती है।
(5) श्लैष्मा का निकलना या तो बन्द या फिर बहुत कम हो जाता है तथा यह बहुत गाढा व कुछ अपारदर्शी होने लगता है।

पशु में मद काल के प्रारम्भ होने के 12 से 18 घंटे बाद अर्थात मद काल के द्वितीय अर्ध भाग में गर्भाधान करना सबसे अच्छा रहता है।

<u>पशु रोगों की रोकथाम हेतू –ASCAD</u>

- इस स्कीम के तहत मुंहखुर रोग (FMD) गलघोंटू(HS) लंगड़ी(BQ) Entrotoxaemia, PPR,रेबीज और मुर्गियों में Mareks की रोकथाम हेतू मुफत टीकाकरण किया जाता है।
- पशुपालकों को सभी रोग निरोधी टीकाकरणों की समय सारणी का पता होना चाहिए ।

- पशुपालकों के अन्दर एक ऐसी भावना हो कि टीकाकरण उनके भले के लिए ही है और वह इसे केवल पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी ही न समझें बल्कि स्वेच्छा से खुद आकर टीकाकरण की मांग करें ।
- मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन आरोग्य योजना के अन्तर्गत जो पशु औषधालय स्थापित किए जा रहे हैं वहां से भी टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होगी ।
- यह टीकाकरण मुफत होता है इस का कोई शुल्क नही लिया जाता।

दुधारू पशुबीमा योजना

- यह योजना इस समय प्रदेश के **पांच जिलों (मण्डी, कांगड़ा, चम्बा,शिमला और हमीरपुर)** में चल रही है ।
- इस योजना के तहत् हर उस दुधारू पशु का जो कम से कम 5 किलो प्रतिदिन दूध देता हो, का बीमा करने का प्रावधान है ।
- बीमे का प्रीमियम सरकार व पशुपालक द्वारा आधा–आधा वहन किया जाता है ।
- बीमा किए हुए दुधारू पशु की मृत्यु होने पर उसकी पूरी कीमत मिल जाती है और पशुपालक आर्थिक नुकसान से बच जाता है ।

दूध गंगा परियोजना (Dairy Entrepreneurship Development Scheme- Come into effect from 1st September,2010)

- इस परियोजना द्वारा पशुपालन विभाग का प्रदेश में अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं की संख्या तथा दूध उत्पादन में बढ़ौतरी करने का लक्ष्य है।
- इस योजना के कार्यन्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में दूध व दूध से बने उत्पादों के विक्रय से महिलाओं को आर्थिक आजादी देकर सशक्त बनाना है ।

इस योजना में व्यक्तिगत या सामुहिक तौर पर :–

- अधिकतम 10 दुधारू पशु खरीदने के लिए पांच लाख रूपये का ऋण नाबार्ड व राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है ।
- दूध निकालने की मशीनें व दूध कूलर इत्यादि स्थापित करने हेतू 18 लाख रूपये तक का ऋण देने का प्रावधान है ।

- दूध के देशी उत्पाद बनाने की इकाईयां स्थापित करने हेतू 24 लाख रूपये तक के ऋण प्रदान करने का प्रावधान है।
- सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को ऋण पर 25 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों को 33.3 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा ।
- इन सभी प्रकार के ऋणों में 10 प्रतिशत राशि का भुगतान व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा व 90 प्रतिशत राशि का भुगतान नाबार्ड व राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अदा किया जाएगा ।
- अगर कोई दूध गंगा योजना में लाभ उठाने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसे विस्तार से बैंकों से ऋण लेने हेतू औपचारिकताओं सम्बन्धी जानकारी दे दी जाए जोकि इस प्रकार है :–
- इस योजना के अन्तर्गत कोई भी एक आवेदक या स्वयं सहायता समूह के सदस्य किसी भी सहकारी/राष्ट्रीयकृत बैंक से दुधारू पशु खरीदने हेतू ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
- प्रोजैक्ट रिपोर्ट के साथ ही स्वयं सहायता समूह द्वारा ऋण लेने हेतू प्रस्ताव, अधिकार पत्र (पैसे के लेनदेन बारे), स्वयं सहायता समूह की मोहर का नमूना और स्थानीय बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) भी संलग्न करना होता है ।
- बैंक का करार पत्र (Inter-se-Agreement) पांच रूपये के स्टाम्प पेपर पर टाईप करवाकर स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों द्वारा बैंक में जाकर हस्ताक्षरित करना होगा ।
- यदि कोई अकेला आवेदक इस परियोजना के तहत ऋण लेना चाहे तो उसे 50,000 रूपये से अधिक के ऋण की गारंटी जमीन के कागजात के रूप में देनी होगी और दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर करार पत्र भी देना होगा ।
- स्वयं सहायता समूह को ऋण खाते में दस प्रतिशत उपांत राशि (Margin Money) जमा करवानी होगी ।
- यह सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति दी जाएगी ।
- ऋण स्वीकृत होने के बाद पशुपालकों को ऐसे स्थानों से दुधारू पशु उपलब्ध करवाए जायेंगे जहां पर कोई मिल्क रूट नहीं होंगे। इन्हें उपलब्ध करवाने में पशुपालन विभाग पशुपालकों का सहयोग करेगा ।

पशु पंजीकरण स्कीम

- प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या पर रोक लगाने हेतू पंचायती राज एक्ट 1984 में संशोधन करके प्रदेश भर में गोजातीय पशुओं का पंचायत स्तर पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है ।
- वर्तमान में यह स्कीम **6 जिलों क्रमशः शिमला,सोलन, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और चम्बा** में शुरू की जा चुकी है बाकि जिलों में भी यह स्कीम इस वर्ष से आरम्भ कर दी गई है।
- **इस स्कीम के अन्तर्गतः–**
- प्रदेश के प्रत्येक परिवार के मुखिया को लिखित या मौखिक रूप से अपने पशुओं का विवरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान या सचिव को देने हेतू उत्तरदायी बनाया गया है ।
- प्रत्येक परिवार के मुखिया को उस परिवार द्वारा पाले जा रहे गोजातीय पशु के जन्म, मृत्यु, क्रय–विक्रय इत्यादि का विवरण भी सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना अनिवार्य है।
- प्रधान/पंचायत सचिव का यह दायित्व होगा कि वह जब भी कोई परिवार का मुखिया इन्द्राज़ हेतू पंचायत में आता है तो वह सम्बन्धित पशु चिकित्सालय/औषधालय के प्रभारी से सम्पर्क स्थापित करके इन्द्राज़ किए जा रहे पशु के कानों पर पंजीकरण की संख्या अंकित करवायें ।
- पशुपालन विभाग द्वारा पशु पंजीकरण करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक स्टीक प्रणाली विकसित की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक पशु को अलग संख्या देकर चिन्हित किया जाता है । जिस प्रकार किसी भी वाहन की पंजीकरण संख्या से उसके मालिक को पहचाना जा सकता है, उसी प्रकार पंचायत में रखे गए रिकॉर्ड व पशु के कान में लगाई गई संख्या से पशु के मालिक की पहचान हो सकती है ।
- कैम्प में लोगों को इस स्कीम की जानकारी देते हुए इसमें बढ़–चढ़कर योगदान देने के लिए प्रेरित करें । जब लोगों को यह पता चल जाएगा कि अगर कहीं हमारा पंजीकृत पशु इधर–उधर आवारा पाया गया तो इस नम्बर के द्वारा उसका मालिक ढूंढ लिया जाएगा तो उसे पंचायत द्वारा दिए जाने वाले दण्ड (जुर्माना) तथा सामाजिक प्रतिष्ठा जाने का भय रहेगा ।
- यह जुर्माना पहली बार गलती करने पर रू0 300 और फिर दोबारा गलती दोहराने पर रू0 500 होगा । यह जुर्माना पंचायत की आय में जमा होगा ।

- पशुपालकों को यह सलाह भी दी जाए कि जब भी वह कोई नया पशु खरीदते हैं तो उसका पंजीकरण अवश्य करवा लें । इसी तरह अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसका नम्बर पंजीकरण रजिस्टर से कटवा दें । अगर वह अपने पशु को बेचते हैं तब भी इस बात का इन्द्राज़ वह उस रजिस्टर में करवा दें कि किस को उन्होंने पशु बेचा है । ताकि भविष्य में यदि वह अपने पशु को आवारा छोड़ दें तो उसी को जुर्माना हो अन्यथा पुराने मालिक को ही जुर्माना अदा करना पड़ेगा ।

गौवध निषेध अधिनियम,1979 में संशोधन

- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गौवध निषेध अधिनियम,1979 में किए गए संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश से बाहरी राज्यों को गौ जातीय पशुओं के परिवहन पर रोक लगा दी गई है परन्तु अगर कोई पशुपालक गायों का किसी विशेष कारण से परिवहन करना चाहता है तो उसे सम्बन्धित जिले के उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य/प्रजनन से इस बारे अनुमति पत्र लेना होगा ।

भेड़ व ऊन विकास

- भेड़ पालन हमेशा से हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य व्यवसाय रहा है । यहां की रामपुर बुशैहरी और गद्धी नस्ल की भेड़ें काफी प्रसिद्ध हैं। लेकिन इनकी ऊन का उत्पादन कम होता है और ऊन का रेशा भी मोटा होता है ।
- अतः इस नस्ल की सुधार के लिए प्रदेश में चार भेड़ फार्म और एक मैंढा केन्द्र खुले हुए हैं । यह चार भेड़ फार्म क्रमशः काकस्थल (जिला किन्नौर) ज्यूरी (जिला शिमला), ताल (जिला हमीरपुर) और सरोल (जिला चम्बा) में स्थित हैं । यहां पर विदेशी नस्ल की रशियन मैरिनों और रैम्बुले भेड़ें पाली जाती है ।
- इन फार्मों से इन विदेशी नस्ल के मैंढे भेड़ पालकों को बड़े जायज़ दामों पर बेचे जाते हैं ताकि वह अपनी देशी भेड़ों को इनसे क्रॉस करवा कर अच्छी नस्ल की दोगली भेड़ें तैयार करें । ऐसी भेड़ों में ऊन का उत्पादन अधिक होता है और ऊन का रेशा भी महीन (पतला) होता है ।
- यह मैंढे भेड़ पालकों को वूल फैडरेशन के माध्यम से दिए जाते हैं । मैंढा केन्द्र नगवांई (जिला मण्डी) से भेड़ पालकों को विदेशी नस्ल के मैंढे प्रजनन ऋतु के दौरान मुफत दिए

जाते हैं जिसे भेड़ पालक अपनी भेड़ों में नस्ल सुधार के लिए इस्तेमाल करके दोबारा मैंढों को मैंढा केन्द्र नगवांई में वापिस कर देते हैं । इससे भेड़ पालक मैंढे पालने के खर्चे से बच जाते हैं ।

- पुराने समय में ऊन काटने के लिए जिन कैंचियों का इस्तेमाल किया जाता था उससे ऊन एक सार नहीं उतरती थी और पूरी तरह से उतरती भी नहीं थी । आजकल ऊन को मशीन से काटा जाता है इसे मशीन शियरिंग कहा जाता है । इससे कम वक्त मे, एक सार अच्छी और ज्यादा ऊन कट जाती है । लोगों को मशीन शियरिंग के लिए प्रेरित करें ।
- वूल फैडरेशन इच्छुक व्यक्तियों को मशीन शियरिंग की ट्रेनिंग भी देती है ।
- भेड़ पालकों की सुविधा के लिए वूल फैडरेशन उनसे सरकार द्वारा निर्धारित दामों पर ऊन भी खरीदती हैं ताकि भेड़पालकों को ऊन बेचने के लिए इधर उधर भागना न पड़े ।

सरकार द्वारा ऊन के क्रय मूल्य निम्नलिखित प्रकार से तय किए गए हैं :–

- सर्दियों में काटी गई ऊन (winter clip) रू० 25.50 प्रतिकिलो ।
- गर्मियों में काटी गई ऊन (summer clip) रू० 35.00 प्रतिकिलो
- पतझड़ में काटी गई ऊन(Autumn clip) सफेद ऊन रू० 55.00 प्रतिकिलो

  काली ऊन रू० 45.00 प्रतिकिलो

भेड़ पालन की बात करते हुए भेड़ पालकों को शीप डिपिंग, शीप ड्रैंचिंग इत्यादि के बारे में भी विस्तार से अवश्य बतायें ।

<u>भेड़ बीमा योजना</u>

- यह योजना शिमला, **किन्नौर, कुल्लू, चम्बा, कांगड़ा और मण्डी जिलों** में जल्द ही शुरू की जाएगी । इस स्कीम के तहत जब इन जिलों से सर्दियों में भेड़ों को दूसरे जिलों में प्रवास (Migrate) किया जाता है तो उन जिलों में इनका बीमा किया जाएगा । इस योजना के मुख्य प्रावधान (features) निम्न प्रकार से हैं :–

- कुदरती आपदाओं जैसे भूचाल, बाढ़, आग या किसी बीमारी के फैल जाने पर भेड़ों को नुकसान की भरपाई हो जाती है।
- इसमें 1–9 वर्ष तक की भेड़ का एक वर्ष के लिए बीमा किया जाता है ।
- इस बीमा पॉलसी का एक वर्ष का प्रीमियम रू0 44 प्रति भेड़ है जिसमें से रू0 25 सरकार देगी और बाकि के मात्र रू0 19 भेड़ पालक को देने होंगे ।
- बीमा हुई भेड़ की मृत्यु होने पर उसके मालिक को प्रति भेड़ रू01200 देने का प्रावधान है ।

<u>भेड़पालक बीमा योजना</u>

- केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड और भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से यह स्कीम हिमाचल प्रदेश में 2007–08 से चल रही है।
- भेड़ पालकों के महत्व को समझते हुए इस योजना को प्रारम्भ किया गया है । कोई भी भेड़ पालक चाले स्त्री हो या पुरूष जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 59 वर्ष हो वह इस योजना का सदस्य बनकर लाभान्वित हो सकता है ।
- इसमें मात्र रू0 80 की राशि लेकर भेड़ पालक का एक वर्ष के लिए बीमा कर दिया जाता है । एक वर्ष के उपरान्त उसे पॉलसी का नवीनीकरण करवाने के लिए रू0 80 पुनः देने होते हैं ।
- इस योजना के तहत कुदरती मृत्यु की दशा में भेड़ पालक के परिवार को रू0 60,000 तथा दुर्घटना से मौत होने पर रू0 1.50 लाख की अदायगी की जाती है । अगर दुर्घटना से मौत न होकर पूर्ण विकलांगता हो जाए तो भी रू01. 50 लाख की राशि की अदायगी की जाती है अगर विकलांगता से केवल एक अंग ही प्रभावित हो तो यह राशि रू075 हजार बीमा करवाए हुए भेड़ पालक को दी जाती है ।
- पहले से विकलांग व्यक्ति के लिए बीमें की राशि केवल मृत्यु या नई विकलांगता होने पर ही दी जाती है ।
- इसके अलावा इस योजना में शामिल होने पर भेड़ पालक को एक मुफत लाभ जिसे Add on Benefit कहा जाता है, मिलता है । इसमें भेड़पालक के दो बच्चों को 9वीं कक्षा से

12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए रू0 100 प्रतिमाह वजीफा मिलता है ।

- यह वजीफा साल में दो बार 6–6 महीने के अन्तर पर दिया जाता है । अतः कैम्प के दौरान भेड़पालकों को इस योजना के फायदे बताकर बीमा करवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए ।

अंगोरा खरगोश पालन

- हिमाचल प्रदेश की जलवायु अंगोरा खरगोश पालन हेतू अनुकूल है । प्रदेश के बेरोजगार युवक/युवतियों द्वारा इसे अपनाया जा सकता है ।
- अंगोरा खरगोश लेने हेतू और इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतू प्रदेश में दो अंगोरा खरगोश प्रक्षेत्र क्रमशः नगवांई (जिला मण्डी) और कंदवाड़ी (जिला कांगड़ा) में स्थापित है ।
- किसी भी अंगोरा खरगोश इकाई की लाभकारिता मुख्यतः ऊन उत्पादन, ऊन की कीमत तथा आहार के मूल्य पर निर्भर करती है ।
- ऊन का विक्रय ही आय का मुख्य स्त्रोत है । हिमाचल प्रदेश वूल फैडरेशन इस ऊन को खरीदती है ।
- A-Grade अंगोरा ऊन का इस समय रू0 600 प्रति किलो और B-Grade अंगोरा ऊन का मूल्य रू0 500 प्रति किलो है।
- ऊन के अलावा इनकी खालें, मांस तथा युवा खरगोशों के विक्रय से भी आय में वृद्धि होती है ।

भेड़पालक समृद्धि योजना

- इस योजना के अन्तर्गत भेड़/बकरी पालकों को 40 भेड़ बकरी तथा दो नर मैंढे/बकरे उपलब्ध करवाने हेतू रू0 1.00 लाख का ऋण जिसमें से रू0 33,000 अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जायेंगे । भेड़–बकरी पालक का भागधन (Marginal Money) इस योजना में रू0 10,000 होगा ।
- भेड़ बकरी प्रजनन इकाई हेतू 500 भेड़/बकरी तथा 25 नर मैंढे/बकरे उपलब्ध करवाने हेतू रू0 25.00 लाख का ऋण जिसमें से रू0 8.33 लाख अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये जायेंगे । भेड़ बकरी पालक का भागधन इस योजना में रू0 6.25 लाख रूपये होगा ।

- खरगोश पालकों को अंगोरा इकाई स्थापित करने हेतू रू0 2.25 लाख के ऋण पर रू0 75 हजार का अनुदान उपलब्ध होगा ।
- योजना के प्रथम चरण में **जिला चम्बा, कांगड़ा व मण्डी के भेड़ बकरी पालकों तथा जिला शिमला व कुल्लू के खरगोश पालकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा ।**
- प्रदान किए जाने वाले ऋण को 9 वर्षों की अवधि में आसान किश्तों में वापिस किया जाना है जिसमें पहले दो वर्षों में कोई किश्त देय नहीं होगी ।
- योजना में पारम्परिक भेड़ बकरी पालकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी ।
- लोगों को इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ उठाने के लिए अपने निकटतम बैंक की शाखाओं/पशु चिकित्सा संस्थानों से सम्पर्क करना चाहिए ।

बीमाकृत पशुओं के बारे

- बीमा चाहे वह दुधारू पशु का हो या भेड़/बकरी/खरगोश का हो, पशुपालक को यह ज्ञान होना चाहिए कि बीमे का मुआवजा (claim) उसी हाल में दिया जाएगा जब मृत पशु की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण–पत्र के साथ उस पशु के इलाज की रिपोर्ट भी लगी होगी जिस बीमारी से वह पशु मरा है । इसके अतिरिक्त बीमा दावा लेने के लिए मृत पशु के कान पर लगा टैग भी कम्पनी को देना होगा अन्यथा बीमा कम्पनी द्वारा No Tag No claim के आधर पर बीमा दावा अस्वीकृत कर दिया जाऐगा।

संतुलित आहार व चारा :

अच्छा दूध लेने के लिए संतुलित आहार व अच्छे हरे चारे के महत्व को समझते हुए विभाग ने चारा विकास योजना चला रखी है । इसमें निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जाती है :–

- केन्द्रीय मिनिकिट टैस्टिंग प्रोग्राम के तहत चारा बीज की मिनिकिटें पशुपालकों को मुफत दी जाती हैं ।

- चारा बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को दिया जाता है ।
- अच्छी किस्म की चारा जड़ें और चारा पौधे वितरित किए जाते हैं ।
- जनजातीय क्षेत्र के पशुपालकों के लिए पशु आहार की ढुलाई पर 100 प्रतिशत अनुदान है ।
- केन्द्र सरकार प्रायोजित घासनी विकास योजना के अन्तर्गत घासनियों का विकास किया जाता है ।
- लोगों को पशुओं के अच्छे पोषण हेतू इन चारा बीजों और जड़ों/पौधों को लेने के लिए प्रोत्साहित करें ।
- जानवर के लिए प्रतिदिन लगभग 25–30 किलो हरा चारा तथा संतुलित आहार एक किलो शरीर के लिए तथा एक किलो प्रति तीन किलो दूध उत्पादन पर देना चाहिए । इसके अलावा 40–50 ग्राम लवण मिश्रण प्रतिदिन दिया जाना चाहिए ।
- आज की बच्छड़ी ही कल की गाय होगी इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संकर नस्ल की गायों व भैंसों की बच्छड़ियों के लिए आहार योजना आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत एक वर्ष की आयु तक चयनित बच्छड़ियों को 50 प्रतिशत अनुदान पर काफ राशन प्रदान किया जाएगा ।

13. <u>पशुपालन विभाग की बैकयार्ड पोल्टरी स्कीम</u>

- लघु और सीमांत किसानों के आर्थिक उत्थान और उनके भरपूर प्रोटीन युक्त पोषण के लिए पशुपालन विभाग ने बैकयार्ड पोल्टरी स्कीम (Backyard Poultry Scheme) चला रखी है ।
- इस स्कीम को बैकयार्ड स्कीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सुव्यवस्थित पोल्टरी फार्मों की अपेक्षा घर के आंगन में ही घरेलू चीजें खिलाकर मुर्गीपालन का कार्य किया जा सकता है ।
- इस स्कीम के तहत इच्छुक किसानों को 50 से 100 तक, 2 से 3 हफते के चूजे लगभग रू0 20 प्रति चूजा दिए जाते हैं (उमर के हिसाब से चूजों की कीमत ऊपर नीचे हो सकती है)
- अगर किसान चाहें तो उन्हें एक दिन के चूज़े भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं । परन्तु दो या तीन सप्ताह की उमर के चूज़े लेने का फायदा यह है कि इस उमर तक चूजों को विभाग अपने कुक्कट फार्मों में ही पालता है और उसके उपरान्त ही किसानों को वितरित करता है । इससे

प्रारम्भिक आयु में होने वाली मृत्युदर में काफी कमी आ जाती है जो अन्यथा किसान को झेलनी पड़नी थी ।

- इच्छुक किसान अपनी मांग अपने नजदीक के पशु संस्थान में दर्ज करवा सकते हैं । अगर किसान चाहें तो उन्हें विभाग के कुक्कट फार्मों में मुर्गीपालन बारे मुफत प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है ।
- इस स्कीम में चैबरो नामक रंगीन प्रजाति के चूज़े दिए जाते हैं । संकरवर्ण होने के कारण इनमें विदेशी पक्षियों के गुण जैसे अधिक अण्डा उत्पादन और खाने योग्य वनज शीघ्र प्राप्त करने की योग्यता है । साथ ही यह हमारी स्थानीय परिस्थितियों में भी अच्छी तरह से ढल जाते हैं ।
- इन पक्षियों के पालने के लिए किसान को किसी अतिरिक्त बाड़े पर खर्चा नहीं करना पड़ता और न ही इनके खाने के लिए कोई विशेष फीड या दवाईयां इत्यादि लानी पड़ती है ।

ऐसे चूजों का पालन पोषण :–

- चूजे एक दिन के हों या दो या तीन सप्ताह के हों जब यह चूजे किसानों के घर पहूंचते हैं तो शुरू में कुछ दिनों के लिए इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखना होता है ।
- अगले दो तीन हफतों तक इन्हें ठण्ड एवं परभक्षी जीवों से बचाना पड़ता है।
- जहां तक इनके भोजन की व्यवस्था का सवाल है तो यह घर के रसोईघर से फालतु बचे हुए अन्न पर अपना गुज़ारा कर लेते हैं।
- यदि किसान जरूरत समझें और उसके पास उपलब्धता हो तो इन्हें दला हुआ अनाज़ जैसे मक्की, गेहूं इत्यादि थोड़ी बहुत मात्रा में दिया जा सकता है ।
- दिन के समय इन पक्षियों को घर के आंगन में खुला छोड़ देना चाहिए तथा दिन छिपने पर इन्हें फिर भीतर सुरक्षित स्थान पर पहूंचा देना चाहिए ।
- 6–7 सप्ताह की आयु तक पहूंचते ही ये पक्षी अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं तथा आसपास विचरण करके अपनी आवश्यकता अनुसार भोजन प्राप्त कर लेते हैं तथा उस वक्त तक इन्हें शाम के समय अपने घर लौट आने की आदत भी पड़ जाती है । फिर भी इन दिनों इन पर एक पैनी नज़र तो रखनी ही पड़ती है कि कहीं यह किसील कुत्ते या बिल्ली का शिकार न हो जाएं ।
- अगले कुछ हफतों में यह पक्षी इस योग्य हो जाते हैं कि मांस हेतू इनको बेचा जा सके । नहीं तो अण्डे तो इनसे लिए ही जा सकते हैं ।

- शुरू में मुर्गियां किसी भी अनजान स्थान पर जाकर अण्डे दे सकती हैं इसलिए किसान को चाहिए कि वह अपने घर आंगन के कोनों में कुछेक स्थानों पर पुआल डालकर इस प्रकार से जगह बना दें जहां मुर्गियां अण्डे दे सकें । ऐसा करने से एक ओर तो किसान को मुर्गियों द्वारा दिए गए सभी अण्डे प्राप्त हो जाएंगे और साथ ही मुर्गियों को घर से बाहर अण्डे देने की आदत भी नहीं पड़ेगी ।
- इस दौरान यदि किसान के सामने किसी तरह की कोई मुर्गीपालन से सम्बन्धित समस्या आए तो उसे निकटतम पशु चिकित्सालय से सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर लेना चाहिए ।

पशुपालन विभाग की 200 चूजों की स्कीम

- यह स्कीम अनुसूचित जाति के किसानों के लिए हैं ।
- इस स्कीम में अनुसूचित जाति का हर वह किसान जिसकी वार्षिक आय रू0 24000 से कम हो और जमीन 25 बीघा से कम हो, इसका लाभ उठा सकता है । इस स्कीम में उपरोक्त शर्तें पूरी करने वाले किसान को रू010,000(दस हजार केवल) तक अनुदान दिया दिया जाता है ।
- यह अनुदान राशि के रूप में नहीं अपितु कुक्कट पालन में प्रयोग आने वाले कुक्कट आहार के बर्तन (Feeders), पानी के बर्तन (Waterers), चूजों की फीड, दवाईयां और 200 चूजों के रूप में दी जाती है ।
- यह सब लाभार्थी के घर से निकटतम चिकित्सा संस्थान, जहां वाहन का पहूंच पाना सम्भव हैं, वहां पर उपलब्ध करवा दिए जाते हैं ।
- चूजों को रखने के लिए शैड का इन्तज़ाम लाभार्थी को खुद करना होता है ।
- लेकिन हां, कुक्कट पालन को सफलता पूर्वक चलाने के लिए उसे प्रशिक्षण विभागीय कुक्कट फार्मों में मिल सकता है ।

विभागीय शुल्क दरें:–

पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान दरें निम्नलिखित हैं:–

पर्ची शुल्कः

- पशु– 1रू0 प्रति पशु
- कुक्कट – 1रू0 प्रति दस पक्षी,

बधियाकरण शुल्क–

- साण्ड 1रू0 प्रति
- बकरा/मैंढा 1रू0 प्रति
- घोड़ा 10 रू0 प्रति
- कुत्ता 5 रू0 प्रति

कृत्रिम गर्भाधान शुल्क :

- गाय/भैंस –15 रू0 प्रति गाय/भैंस
  (गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों के लिए)
- – 10 रू0 प्रति गाय/भैंस
  (गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए)

आगमन शुल्क :

(केवल पशु औषधियोजकों/ पशु पालन सहायकों/मुख्य पशु औषधियोजकों के लिए)

पशुपालकों के घर द्वार पर उपचार एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाने पर सरकार द्वारा निम्न आगमन शुल्क की दरें पशु औषधियोजकों/ पशुपालन सहायकों/ मुख्य पशु औषधियोजकों के लिए निर्धारित की गई है :–

पशु चिकित्सा संस्थान से दूरी	पशु औषधियोजक	पशुपालन सहायक व मुख्य मुख्य औषधियोजक
3 किलोमीटर तक	30 रू0	35 रू0
3 किलोमीटर से अधिक	35 रू0	40 रू0

टिप्पणीः– पशु चिकित्साधिकारियों को पशुपालकों द्वारा आगमन शुल्य देय नहीं है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस निषेध भत्ता (एन0पी0ए0) सरकार द्वारा दिया जाता है ।

रोगनिरोधक टीकाकरण शुल्क :

क्रम संख्या	रोगनिरोधक टीके का नाम	शुल्क
1.	मुंहखुर रोग बचाव हेतू	निःशुल्क
2.	ए0आर0वी0 कुत्तों से बचाव के लिए	पूरी कीमत पर
3.	गलघोटू	निःशुल्क
4.	लंगड़ा बुखार	निःशुल्क
5.	पी0 पी0 आर0 रोग	निःशुल्क

टिप्पणीः– पशुओं को पागल कुत्ते के काटने पर उपचार हेतू ए0आर0वी0 टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है ।

साफ सुथरा दूध उत्पादन :–

हमारा ध्येय केवल दूध उत्पादन ही नहीं अपितु साफ सुथरा दूध उत्पादन होता है जिसके पशु की सफाई विशेषकर अयन, पशुशाला की सफाई, दूध के बर्तनों की सफाई व पशुपालक की सफाई से सम्बन्धित बातें बताई जायें ।

लाभकारी पशुपालन :–

पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए आवश्यक है कि उन्नत प्रजनन, संतुलित आहार, रोग प्रतिरक्षण व सही रख–रखाव के साथ आवश्यक है कि दूध को दूध के अतिरिक्त घी, पनीर, खोआ इत्यादि बना कर भी विक्रय किया जाए, उचित दर प्राप्ति के लिए विपणन विक्रय समूह का गठन किया जाए तथा मांग वाले स्थानों पर उत्पाद को पहूंचा कर लुभावनी दरों पर बेचा जाए ।

पशुपालन विभाग हर समय हर स्थान पर सहर्ष आपकी सेवा में प्रयासरत एवं उपलब्ध है ।

शिकायत सूचना प्रबन्धकीय प्रणाली (एम0आई0एस0)

पशु पालन विभाग की सेवायें पूर्णरूप से नागरिकों की अपेक्षा के अनुरूप हो सकें तथा सेवाओं में पारदर्शिता,जवाबदेही एव् गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। इस हेतु पशु पालक अपने सुझावों/शिकायतों के लिए विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

1	उप–मण्डलीय स्तर पर	सम्बन्धित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी
2	जिला स्तर पर	सम्बन्धित जिले में कार्यरत उप–निदेशक (पशु स्वास्थ्य/प्रतनन) तथा उप मण्डल पालमपुर,भरमौर,काजा तथा पांगी में कार्यरत सम्बन्धित सहायक निदेशक से सम्पर्क करें।
3	मण्डल स्तर पर दक्षिणी क्षेत्र (शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर व ऊना जिले तथा स्पिति उप मण्डल) उत्तरी क्षेत्र (कांगडा,हमीरपुर,चम्बा,मण्डी, कुल्लु, लाहौल जिला पांगी उप मण्डल)	संयुक्त निदेशक,एस0एल0बी0पी0, निदेशालय, पशु पालन विभाग शिमला–171005,हि0प्र0 दूरभाष 0177–2830167 संयुक्त निदेशक, पशु पालन पालमपुर। दूरभाष 01894–230529
4	निदेशालय स्तर पर	निदेशक,पशु पालन विभाग,हि0प्र0 दूरभाष 0177–2830089/ फैक्स 0177–2830170

****